मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी एरिया, डेली कॉलेज रोड, इन्दौर

दूरभाषः– 2701624, 2701983, Fax :- 2701079, 2700406

निविदा शर्तें

म.प्र. लोक सेवा आयोग में आमंत्रित विषय–विशेषज्ञों को होटल में ठहराये जाने की व्यवस्था हेतु द्वि–निविदा प्रणाली से सील बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। टेन्डर आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com पर उपलब्ध है। निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

सं. क.	कार्य का विवरण	अर्नेस्ट मनी	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	म.प्र. लोक सेवा आयोग में आमंत्रित विषय–विशेषज्ञों को होटल में ठहराये जाने की व्यवस्था करने हेतु	1,00,000/–	1,000/–	कार्यादेश दिनॉक से एक वर्ष के लिए

2. विस्तृत निविदा प्रपत्र के साथ दिनांक 27.07.2016 तक निविदा शुल्क रूपये 1,000/– (रूपये एक हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा। विस्तृत निविदा तथा अन्य जानकारी आयोग की वेबसाईट **www.mppsc.com** के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। वेबसाईट से निविदा फार्म डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा प्रपत्र का मूल्य आयोग कार्यालय में एम.पी.टी.सी. के माध्यम से अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगा एवं रसीद निविदा के साथ संलग्न करना होगी, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

3. **निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश :–**

निविदा निम्नानुसार भरी जायेगी :–

a) प्रथम लिफाफा–धरोहर राशि (लिफाफे के उपर धरोहर राशि स्पष्टतः लिखा जावें)

b) द्वितीय लिफाफा–तकनीकी बिड (लिफाफे के उपर तकनीकी बिड स्पष्टतः लिखा जावें)

c) तृतीय लिफाफा–वित्तीय बिड (लिफाफे के उपर वित्तीय बिड स्पष्टतः लिखा जावें)

तीनों लिफाफे एक बडें सील बंद लिफाफे में रखें जायेगें। जिस पर "म.प्र. लोक सेवा आयोग में आमंत्रित विषय–विशेषज्ञों को होटल में ठहराये जाने की व्यवस्था हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से लिखा जाय। लिफाफा "प्रति सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर" को प्रेषित किया जावे धरोहर राशि सही पाई जाने पर ही तकनीकी बिड खोली जावेगी तथा धरोहर राशि नहीं पाई जाने/सही नहीं पाई जाने पर निविदा निरस्त की जावेगी।

3.1 **बिड** :– बिड दिनांक 27.07.2016 को सायंकाल 05.00 बजे तक आयोग की आवक शाखा में जमा करना होगी । बिड में 03 लिफाफे होंगे ।

3.2 **प्रथम लिफाफा** – प्रथम लिफाफे के साथ निविदा शुल्क रूपये 1,000/– (रूपये एक हजार मात्र) की रसीद जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के पक्ष में देय हो तथा धरोहर राशि के रूप में रूपये 1.00 लाख (रू. एक लाख मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा। बिना उक्त शुल्क व धरोहर राशि के निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

द्वितीय लिफाफा –आयोग द्वारा निर्धारित तकनीकी प्रारूप प्रपत्र–1 में तकनीकी निविदा प्रस्ताव तथा चेकलिस्ट अनुसार हस्ताक्षर व पदमुद्रा सहित सबंधित समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र।

तृतीय लिफाफा – आयोग द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रारूप प्रपत्र–6 में वित्तीय निविदा प्रस्ताव ।

4 **चयन प्रक्रिया :–**

अ. आयोग द्वारा गठित तकनीकी समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ता अथवा निविदाकर्ता के प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 29.07.2016 को समय दोपहर 12.00 बजे निविदा खोली जायेगी।

ब. प्रथम लिफाफा खोले जाने के पश्चात् सही पाए जाने पर द्वितीय लिफाफा समिति के समक्ष खोला जावेगा।

स. द्वितीय लिफाफे अर्थात तकनीकी निविदा में अंकित प्रपत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख व आवश्यक अर्हता अनुसार सही पाये जाने पर तथा अर्ह पाये जाने पर आयोग द्वारा गठित दल द्वारा पात्र निविदाकारों के होटलों का निरीक्षण किया जावेगा एवं निरीक्षण दल द्वारा निविदा के साथ संलग्न "निरीक्षण समिति" के मूल्यांकन पत्रक अनुसार भौतिक निरीक्षण के आधार पर अंक दिये जायेंगे । पत्रक अनुसार **अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले** 05 निविदाकारों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी ।

द. वित्तीय निविदा में प्रपत्र–6 में अंकित दरों में प्राप्त न्यूनतम दर के आधार पर सफल निविदाकार का चयन किया जाएगा ।

ई. निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि पृथक से तय की जायेगी, जिसकी सूचना सफल निविदाकारों को ई–मेल/दूरभाष/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जायेगी।

5 **संविदा की शर्तें तथा अपेक्षाओं की अनुसूची :–**

5.1 वित्तीय निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की ओवर राईटिंग/कांट छांट होने पर निविदा स्वीकार नही की जायेगी। अन्य प्रपत्रों में कांट छांट या ओवर रायटिंग होने पर हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा होना आवश्यक होगा।

5.2 निविदा प्रपत्र तथा प्रमाण पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी। निविदा शर्तो के अनुसार अथवा संलग्न प्रारूप में नहीं भरी होने पर अथवा अधूरें भरे हुये निविदा प्रपत्र मान्य नही किए जायेगें। आयोगं चाहे तो तकनीकी बिड में कोई अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कर सकता है। यदि वह अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो निविदा निरस्ता की जा सकेगी।

5.3 यह निविदा प्रस्ताव निविदा खोलने की तिथि से 120 दिनों तक वैध रहेगा।

5.4 निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् सफल निविदाकार को 07 दिवस के भीतर धरोहर राशि के रूप में 5.00 लाख, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी. के रूप में सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पक्ष में डेढ़ वर्ष के लिये जमा करना होगी व अनुबंध करना होगा। यह एफ.डी. वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद 60 दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक है। जब तक कि उसके लंबित बिलों का निपटान नही हो जाता तब तक के लिये आयोग के पास जमा रहेगी। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। यदि सफल निविदाकार उक्त शर्तो का पालन करने मे असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा सुरक्षा निधि, राजसात कर ली जावेगी एवं निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

5.5 यह अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए है। सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रथम एक वर्ष तक उपलब्ध करायी गयी सेवा संतोषप्रद होने की स्थिति में ही निविदा अवधि की निरंतरता की स्वीकृति पूर्व में आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर एक–एक वर्ष के लिए अधिकतम 03 बार अथवा आगामी निविदा होने तक बढ़ायी जा सकेगी। निविदा की शर्ते अनुबंध का अभिन्न अंग होगी। निविदा के नवीनीकरण की स्थिति में परफारमेंस गारंटी का नवीनीकरण किया जाना होगा।

5.6 तकनीकी प्रस्ताव (बिड) के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को निविदाकर्ता द्वारा संस्था की पदमुद्रा सहित सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा,अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी। सत्यापित प्रतिलिपियॉ असत्य पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर उसकी परफार्मेंस गांरटी, धरोहर राशि राजसात कर ली जायेगी एवं संस्था को काली सूची (Black listed) में डालने की कार्यवाही भी की जाएगी ।

5.7 विगत तीन वर्षो (वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15) के अकेंक्षित लेखों का संलग्न प्रारूप में सारांश जिसमें लॉजिंग एवं बोर्डिंग कार्य के तीन वर्षो का औसत न्यूनतम रूपये 1.5 करोड़ का टर्नओवर की राशि का हो, जिसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा किया गया हो।

5.8 सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एण्ड कॅस्टम बोर्ड का सर्विस टैक्स का वैध प्रमाण पत्र।

5.9 वाणिज्यिक कर विभाग का वैट टैक्स का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।

5.10 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र।

5.11 नगर निगम का होटल संचालन तथा लॉजिंग एवं बोर्डिंग सेवा का वैध लायसेंस

5.12 संबंधित संस्थान के पैन कार्ड की छायाप्रति।

5.13 विगत तीन वर्षो (वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15) की आयकर विवरणी की पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो की छायाप्रति।बैलेंस शीट व प्राफिट–लॉस अकाउंट की सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रति।

5.14 निविदाकार संस्था को स्वयं का घोषणा पत्र देना होगा कि फर्म को विगत 03 वर्षों में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड एवं उसकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालयीन वाद तो नहीं है।

5.15 न्यूनतम पॉच वर्ष का लॉजिंग–बोर्डिंग सेवाएँ प्रदान करने का अनुभव होना आवश्यक है।

5.16 होटल संचालन तथा लॉजिंग एवं बोर्डिंग सेवा के लिए अन्य सभी वैधानिक प्रमाण पत्र एवं वैध लायसेंस

5.17 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र।

5.18 शपथ पत्र प्रारूप–2 में ।

5.19 अकेंक्षित लेखों का सारांश, प्रपत्र–3

5.20 निविदाकार संस्था को स्वयं का घोषणा पत्र देना होगा कि फर्म मो विगत 03 वर्षों में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं है एवं उसकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालयीन वाद तो नहीं है। प्रपत्र–4

5.21 कक्षों की संख्या, साईज एवं निःशुल्क सेवाएँ एवं अन्य सुविधाएँ आयोग द्वारा संलग्न तकनीकी विवरण अनुरूप होना आवश्यक है अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी। बिड फार्म के साथ दस्तावेज होना अनिवार्य है, जिसके बिना निविदा निरस्त की जावेगी एवं कलेक्टर द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा।

5.22 आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी विनिदा या उसके किसी अंश को या सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बगैर कोई कारण बताये स्थगित या निरस्त कर सके । आयोग की आवश्यकता एवं निर्देशानुसार अनुबंध की शर्तो के अनुसार कार्य का संपादन न किये जाने पर आयोग किसी अन्य प्राधिकृत संस्था से कार्य का संपादन तात्कालिक रूप से कराने का स्वतंत्र होगा परंतु ऐसी व्यवस्था में होने वाले व्ययों के भुगतान का उत्तरदायित्व सफल निविदाकार पर होगा जो कि उसके देयक से वसूल किया जायेगा अथवा चालान या डी.डी. के माध्यम से वसूली योग्य होगा अथवा सुरक्षा निधि से वसूल किया जायेगा ।

5.23 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।

5.24 निविदा करने के पश्चात् कोई परिवर्तन या संशोधन मान्य नहीं होगा ।

5.25 विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

5.26 निविदाकर्ता द्वारा विड वापस नहीं ली जावेगी अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी ।

5.27 वित्तीय निविदा समस्त दरों व करों सहित भरी जावेगी पृथक से कोई चार्जेस देय नहीं होंगे ।

5.28 निविदा संबंधी समाधार के लिए अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) से सम्पर्क किया जा सकता है ।

5.29 अनिवार्य रूप से चाहे गए प्रपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।

5.30 होटल के संचालक द्वारा अथवा जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी है अथवा जिनके नाम से पॉवर ऑफ अटर्नी हो उन्हीं के द्वारा निविदा भरी जावेगी ।

5.31 नियमानुसार करों का कटौत्रा किया जावेगा ।

6. कार्य की शर्तें :–

6.1 होटल में रूकने वाले विषय–विशेषज्ञों की जानकारी के विषय में पूर्ण गोपनीयता बरती जाएगी। ऐसा पाया जाने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं ब्लैक लिस्ट करने एवं होटल का लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

6.2 होटल के कक्ष साफ–सुथरे होना चाहिए तथा चादर व कम्बल स्वच्छ बिना फटे हुए होना चाहिए।

6.3 प्रत्येक कक्ष में वेंटीलेशन एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होना आवश्यक है।

6.4 प्रत्येक कक्ष में EPBX सुविधा 24X7 Hours अनिवार्य है।

6.5 विषय–विशेषज्ञों के होटल में पंहुचने की तिथि एवं समय के उपरान्त से ही 24X7 Hours की गणना की जावेगी।

6.6 आयोग कार्यालय परिसर से अधिकतम 15 किमी. के अन्दर होटल स्थापित होना चाहिए।

6.7 प्रपत्र क्रमांक 05 के अनुसार न्यूनतम आवश्यक सेवाएँ होना अनिवार्य है, जिसके बिना निविदा अमान्य की जावेगी तथा निविदाकर्ता को वैधानिक अनुदेशों का पालन करना होगा।

6.8 साक्षात्कार व मूल्यांकन व अन्य कार्य होने पर सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन न्यूनतम 30 विषय–विशेषज्ञों के ठहरने की व्यवस्था की जाना होगी । इतने विषय–विशेषयज्ञों हेतु कक्ष वर्ष भर में न्यूनतम 60 दिवस उपलब्ध कराने होगें तथा विषय–विशेषज्ञों की संख्या 10 से अधिक होने पर न्यूनतम पांच दिवस पूर्व सूचित किया जायेगा । विषय–विशेषज्ञों की संख्या अधिक होने पर समान सुविधा की अन्य होटल में ठहरने की व्यवस्था भी करना होगी।

6.9 **दण्डात्मक निर्देश** :– होटल द्वारा निविदा प्रपत्र व अनुबंध में दर्शित शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर अथवा निर्धारित सेवाओं का प्रदाय न किये जाने पर अथवा सेवाएँ निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप न पाये जाने पर अथवा होटल के कर्मचारियों द्वारा अतिथियों के साथ अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा होटल के कर्मचारी नशे की हालत में पाये जाने पर अथवा विषय–विशेषज्ञों के ठहरने संबंधी गोपनीयता भंग पाई जाने पर अथवा आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन न करने पर आयोग द्वारा होटल पर निम्न कार्यवाही की जा सकेगी :–

a) रू. न्यूनतम 2000 से अधिकतम 10,000/– तक का दण्ड अधिरोपण।
b) अनुबंध निरस्त करना तथा परफारमेंस गांरटी राजसात करना।
c) ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही करना।

दण्ड अधिरोपित किये जाने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जावेगा ।

दण्ड और क्षतिपूर्ति की राशि देयक से वसूल की जावेगी अथवा चालान/डी.डी. के माध्यम से वसूल की जावेगी अथवा परफार्मेंस गारंटी की जमा राशि से काट ली जावेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति 15 दिवस के अन्दर करना होगी।

d) वर्ष में 10 बार से अधिक दण्ड अधिरोपित किये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकेगी :–

1. अनुबंध निरस्त करना तथा परफारमेंस गांरटी राजसात करना।
2. ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही करना।

7. भुगतान प्रकिया :–

7.1 होटल को भुगतान प्रति माह ई–पेमेंट के माध्यम से किया जायेगा । देयक का सत्यापन आयोग के दिशा–निर्देशों की प्रक्रिया अनुरूप किया जावेगा।

7.2 नियमानुसार TDS कटौत्रा किया जावेगा।

7.3 किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।

7.4 भुगतान प्रक्रिया आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार की जावेगी।

8. **निविदा चयन का आधार :–**

न्यूनतम दरें निर्धारित करने का आधार वित्तीय प्रपत्र में सरल क्रमांक–06 में न्यूनतम प्राप्त दर होगी। डबल अकुपेंसी की दरों का निर्धारण न्यूनतम प्राप्त सिंगल अकुपेंसी की दरों का 11 प्रतिशत रहेगा । न्यूनतम वित्तीय निविदा मान्य की जावेगी।

9. **विवाद का निपटारा :–**

9.1 विवाद की स्थिति में सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी रहेगा व न्याय क्षेत्र इन्दौर होगा।

9.2 परिणामी संविदा की व्याख्या भारतीय कानून के तहत की जावेगी।

9.3 किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निष्पक्ष आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का अधिकार सचिव, लोक सेवा आयोग का होगा ।

उप सचिव,
म.प्र. लोक सेवा आयोग
इंदौर

चेक लिस्ट

स.क्र.	विवरण	संलग्न है या नहीं	पृष्ठ क्रमांक
01	निविदा प्रस्ताव–प्रथम लिफाफे में निम्नानुसार रखा जावें 1. निविदा शुल्क रसीद 2. धरोहर राशि		
02	निविदा प्रस्ताव–द्वितीय लिफाफा में निम्नानुसार रखा जावें 1. संविदा प्रपत्र (निर्धारित प्रारूप में)–1 2. तकनीकी बिड प्रपत्र–5		
03	निम्नानुसार प्रपत्र, प्रमाण पत्र व अभिलेख(कंडिका–5)		
5.7	विगत तीन वर्षो (वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15) के अकेंक्षित लेखों का संलग्न प्रारूप में सारांश जिसमें लॉजिंग व बोर्डिंग कार्य के तीन वर्षो का औसत न्यूनतम रूपये 1.50 करोड़ का टर्नओवर की राशि का प्रमाणीकरण चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा किया गया हो।		
5.8	सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एण्ड कॅस्टम बोर्ड का सर्विस टैक्स का वैध प्रमाण पत्र।		
5.9	वाणिज्यिक कर विभाग का वैध पंजीयन		
5.10	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम–2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र।		
5.11	नगर निगम द्वारा जारी होटल संचालन तथा लॉजिंग एवं बोर्डिंग सेवा का वैध लायसेंस		
5.12	संबंधित संस्थान के पैन कार्ड की छायाप्रति।		
5.13	विगत तीन वर्षो (वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15) की आयकर विवरणी की पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो की छायाप्रति। बैलेन्स शीट व प्रॉफिट व लॉस अकाउंट की छायाप्रति।		
5.14	निविदाकार संस्था को स्वयं का घोषणा पत्र देना होगा कि फर्म को विगत 03 वर्षो में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड एवं उसकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालयीन वाद तो नहीं है। प्रपत्र–4		
5.15	न्यूनतम पॉच वर्ष का लॉजिंग एवं बोर्डिंग सेवाएँ प्रदान करने का अनुभव प्रमाण पत्र		
5.16	होटल संचालन हेतु अन्य लॉजिंग व बोर्डिंग वैधानिक प्रमाण पत्र व लायसेंस		
5.17	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र		
04	हस्ताक्षरित शपथ पत्र, प्रपत्र–2		
05	अंकेक्षित लेखों का सारांश, प्रपत्र–3		
04	निविदा प्रस्ताव–तृतीय लिफाफा (वित्तीय निविदा प्रपत्र–6)		

(अ) निविदाकर्ता द्वारा संस्था की पदमुद्रा सहित स्वसत्यापित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियॉ संलग्न की जावे)

(ब) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों में अंकित न्यूनतम आवश्यक सेवाएँ होना अनिवार्य है, जिसके आधार पर निविदा मान्य की जावेगी।

म.प्र. लोक सेवा आयोग में आमंत्रित विशेषज्ञों को होटल में ठहराये जाने की व्यवस्था हेतु सेवाएँ प्रदाय करने हेतु

संविदा प्रपत्र–1

01	होटल / संस्थान का नाम :–	
02	होटल / संस्थान संचालक का पूरा नाम :–	
03	होटल / संस्थान का पत्राचार का पूरा पता :–	
04	होटल / संस्थान का दूरभाष क्रमांक :–	
05	होटल / संस्थान का फैक्स क्रमांक :–	
06	होटल / संस्थान की ई–मेल आई.डी.	
07	होटल / संस्थान की वेबसाईट	
08	होटल / संस्थान संचालक का मोबाईल नं. :–	
09	होटल / फर्म का सम्पूर्ण बैंक विवरण :– 01. बैंक खाता क्रमांक :– 02. बैंक का नाम :– 03. बैंक का पूरा पता :– 04. बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड :–	
10	होटल / संस्थान का पैनकार्ड नं. :–	
11	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं. :–	
12	संस्थान का पंजीयन क्रमांक :– 01. नगर निगम :– 02. खाद्य विभाग :– 03. वाणिज्यिक कर विभाग :–	
13	सुरक्षा निधि का सम्पूर्ण विवरण :– 01. बैंक ड्राफ्ट की राशि :– 02. बैंक ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक :– 03. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम :– 04. बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि :–	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :.......................... नाम :..

स्थान :.......................... पदमुद्रा :......................................

नोट :– समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुरूप सत्य है। यदि उपरोक्त जानकारी गलत पायी जाती है अथवा तथ्यों के अनुरूप नहीं है तो मेरी निविदा प्रस्ताव को अमान्य कर दिये जाने अथवा अनुबंध निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

प्रपत्र–2

शपथ पत्र का प्रारूप

(रू 10/– के गैर न्यायिक मुद्रांक/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं ....पुत्र/पुत्री ....उम्र ....पता .... शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :–

1. मैं निविदाकर्ता होटल .... (होटल का नाम) का .... (एकल/स्वामी/साझेदार/संचालक/मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ तथा यह होटल वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता .... है।

2. मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य है।

3. निविदा में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिये मेरे/मेरी होटल के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियॉं पंजीकरण तथा स्वीकृतियॉं प्राप्त है।

4. मेरे/मेरी होटल द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारी पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है कि किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त की जा सकती है तथा हमारे द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि एवं परफॉरमेंस गांरटी आयोग द्वारा जब्त की जा सकेगी।

शपथगृहीता

स्थान ....

दिनांक........................

नाम ....

पता....................................

1. गवाह नाम पता.......................................
2. गवाह नाम पता.......................................

सत्यापन

मैं निविदाकर्ता .... (होटल का नाम) ....(एकल/स्वामी/साझेदार/संचालक/मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ । मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित क्रं. 1 से लेकर 4. तक किये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य तथा प्रमाणित है।

शपथगृहीता

स्थान ....

दिनांक........................

नाम ....

पता....................................

1. गवाह नाम पता.......................................
2. गवाह नाम पता.......................................

प्रपत्र –3

अंकेक्षित लेखों का सारांश (वर्ष 2015–16 के पूर्व के तीन वर्षों का)

(रू 10/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स..पता.. .... के विगत तीन वर्षो के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर विवरणियों की जॉच मेरे द्वारा की गई है। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का आवर्त (टर्नओवर) इस प्रकार है :–

क्र.	वर्ष	राशि (शब्दों में)	राशि (अंको में)
1	2014–15		
2	2013–14		
3	2012–13		

टीप :– शब्दों एवं अंको में राशि में अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपर्युक्त आवर्त की गणनाएं मेरे द्वारा स्वंय जांची गई है। जिसे मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की निविदा शर्तो के अनुसार वांछित शर्त के रूप में मैं प्रमाणित करता हूँ।

दिनांक :.........................

चार्तरित लेखाकार का नाम :..............................

स्थान :.........................

फर्म की पदमुद्रा :..

प्रपत्र –4

घोषणा पत्र

(ब्लैक लिस्ट एवं न्यायालयीन वाद नहीं होने के संबंध में)

मैं .... आत्मज .... म.प्र. लोक सेवा आयोग में आंमत्रित विशेषज्ञों को होटल में ठहराये जाने की व्यवस्था हेतु सेवाएँ प्रदाय हेतु आयोग में निविदाकार हूँ। मैं यह घोषित करता हूँ कि हमारी होटल को विगत तीन वर्षों में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है और ना किसी न्यायालय में होटल के गठन या कार्यों के संबंध में कोई वाद लंबित है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :.......................... नाम :...

स्थान :.......................... पदमुद्रा :..

तकनीकी विवरण आवश्यक अर्हता (प्रपत्र–5)

स. क्र.	विवरण	हॉ / नही
01	कक्ष की साईज :– 200 वर्ग फीट (वॉश एरिया के अतिरिक्त) अटेच्ड वॉशरूम के साथ तथा फर्नीचर (सिंगल या डबल बेड, राईटिंग टेबल, कुर्सी, सोफा सेट, आलमिरा नाइट लेम्प्स् इत्यादि) ।	
02	कक्षों की संख्या :– न्यूनतम 30 (आपकी होटल / संस्थान में उपलब्ध कक्षों की संख्या भी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे)	

Free of Cost Services:-

01	प्रत्येक कक्ष मे PBX की सुविधा	
02	प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पीने के पानी की 02 लीटर उच्च मानक स्तर सील बन्द बॉटल और आवश्यकतानुसार आर.ओ. बॉटल का शुद्ध पेयजल	
03	वाई–फाई / हाई स्पीड इंटरनेट	
04	एल.सी.डी. टी.वी. न्यूनतम 22 इंच डिश एनटिना	
05	स्प्लिट एअर कण्डिशनर, रूम हीटर	
06	विषय–विशेषज्ञ के होटल में पंहुचने के उपरान्त से 24X7 Hours चैक–ईन सुविधा	
07	पिक–अप एण्ड ड्राप ए.सी. सिडान शोफर ड्रिवन	
08	इलेक्ट्रिक टी–केटल, टी सेशे	
09	हिन्दी या इग्लिश न्यूज पेपर (अथितियों की मांग अनुसार)	
10	टॉयलेटरीज आयटम	
11	जनरेटर बैकअप फॉर पॉवर फैलयर	
12	एलीवेटर / लिफ्ट	
13	हाउस कीपिंग अमेनिटीज	
14	24 घण्टे हॉट एण्ड कोल्ड वाटर सप्लाई	
15	जिम	
16	सेलून	
17	फ्री लगेज हेण्डलिंग एण्ड फ्री पार्किंग	
18	निःशक्तजनों हेतु व्हिल चेयर एवं अन्य सुविधा।	

अन्य सुविधाएँ

01	Doctor on Call	
02	Same Day Laundry/Dry Cleaning	
03	Ironing Service	
04	रूम सर्विस	

म.प्र. लोक सेवा आयोग में आंमत्रित विशेषज्ञों को होटल में ठहराये जाने की व्यवस्था हेतु सेवाएँ प्रदाय करने हेतु

वित्तीय प्रपत्र –06

निविदाकार का नाम .... होटल/संस्थान का नाम...............................

....पूरा पता...

....

क्र.	कार्य का विवरण	दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (समस्त दर व कर सहित)
1	सिंगल अकुपेंसी (Single Occupency) की दरें (फ्री – बेड टी, ब्रेक फास्ट (With tea), डीनर, वाई–फाई एवं 24X7 Hours पिकअप एण्ड ड्रॉप (एअरपोर्ट एवं रेल्वे स्टेशन से होटल तक) एवं चैकइन सुविधा। (तकनीकी प्रपत्र–5 में दी गई Free of Cost सुविधाओं सहित)	रू

टीप :– दरों का निर्धारण सिंगल अकुपेंसी (Single Occupency) की दरें (फ्री बेड टी, ब्रेक फास्ट, डीनर, वाई–फाई एवं 24X7 Hours पिकअप एवं चैकइन सुविधा (Free of Cost सुविधाओं सहित) के आधार पर ही किया जावेगा तथा डबल बेड अकुपेंसी की दरें सिंगल बेड अकुपेंसी की दरों का 11% (ग्यारह प्रतिशत) रहेंगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :...

पता :...

फोन.न. :...

ई.मेल :...

निरीक्षण समिति का मूल्यांकन पत्रक (प्रपत्र–07)

स.क.	आधार	अंकों का विवरण	जमा किये जाने वाले प्रपत्र
01	टी.वी.	32 ईंच 05 अंक 32 ईंच से अधिक **10 अंक**	स्व–प्रमाणित एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाय। (वास्तविक फोटोग्राफ जमा किये जावे)
02	200 वर्गफीट से बड़ा कक्ष	200 वर्गफीट से प्रत्येक अधिक 10 वर्गफीट पर 01 अंक अधिकतम **10 अंक**	(वास्तविक फोटोग्राफ जमा किये जावे)
03	आयोग से दूरी	प्रत्येक 03 किमी. कम होने पर 02 अंक अधिकतक **10 अंक**	स्व–प्रमाणित एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाय।
04	कक्षों की संख्या	31 से 40 कक्ष 10 अंक 41 से 50 कक्ष 20 अंक 51 से अधिक कक्ष **30 अंक**	स्व–प्रमाणित एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाय। (वास्तविक फोटोग्राफ जमा किये जावे)
05	01. साफ–सफाई	05 अंक	स्व–प्रमाणित एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाय। (वास्तविक फोटोग्राफ जमा किये जावे)
	02. वातायन	05 अंक	
	03. फर्नीचर की स्थिति	05 अंक	
	04. किचन साफ–सफाई व भोजन की गुणवत्ता	05 अंक	
	05. बाह्य वातावरण	05 अंक	
	06. स्वीमिंग पूल	05 अंक	
	07. सेवाओं की गुणवत्ता	05 अंक	
	08. कक्षों का रख–रखाव	05 अंक	
		40 अंक	
	कुल अंक :–	100 अंक	